कार्यालयः– अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं 3, बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक 39 दिनांक 18.3.20

आम–सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा मे जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई/2020 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशो की अनुपालना मे दिनांक 18.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के कार्य दिवस मे केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणो की सुनवाई की जावेगी,

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा मे सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय मे अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणो के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणो की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण मे यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

क. सं.	सुनवाई की तिथि	ऐसे मामलो में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है उनमें सुनवाई की तिथि	और अन्य मामलों में सुनवाई की तिथि
1	18.03.2020	01.04.2020	01.05.2020
2	19.03.2020	01.04.2020	02.05.2020
3	20.03.2020	03.04.2020	04.05.2020
4	21.03.2020	03.04.2020	05.05.2020
5	23.03.2020	04.04.2020	06.05.2020
6	24.03.2020	04.04.2020	07.05.2020
7	26.03.2020	07.04.2020	08.05.2020
8	27.03.2020	07.04.2020	11.05.2020
9	28.03.2020	09.04.2020	12.05.2020
10	30.03.2020	13.04.2020	13.05.2020
11	31.03.2020	13.04.2020	14.05.2020

परिवर्तित तिथियॉ शीध्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध मे कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा मे यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव मे अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणो की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति मे भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर मे उपस्थित आवे।

अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 3
बाडी, जिला धौलपुर

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संध, बाडी को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणो की तारीखो की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय मे आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करे।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
4. कार्यालय प्रति।

अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 3
बाडी, जिला धौलपुर

Scanned by CamScanner